प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति

(छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत गठित)

विषय :- छ.ग.राज्य के विभिन्न निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में संचालित बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.) 4.5 वर्षीय पाठ्यक्रम का फीस निर्धारण/पुनर्निधारण ।

संकल्प दिनांक - 18/07/2026

1. छ.ग. निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008, (जिसे आगे "अधिनियम, 2008" से उल्लेखित किया जाएगा), की धारा 4 (1) एवं (2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत छ.ग. शासन द्वारा प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति (जिसे आगे ए.एफ.आर.सी. से उल्लेखित किया जाएगा), जिसे निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के विनियमन एवं फीस के निर्धारण के लिए गठित किया गया है।

2. उपरोक्त प्रदत्त शक्तियों के तहत ए.एफ.आर.सी इस संकल्प द्वारा छ.ग.राज्य के निजी व्यावसायिक शिक्षण महाविद्यालयों क्रमशः 1. राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय, चंदखुरी, जिला-दुर्ग (छ0ग0) 2. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मनकी, जी0ई0 रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) 3. भारती आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय, पुलगांव चौक, जिला-दुर्ग (छ0ग0) 4. महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुंदरा, राजनांदगांव (छ0ग0) 5. रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेदिक, कोटरलिया, जामगांव रोड, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ0ग0) 6. चौकसे कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, लाल

खदान, मस्तुरी रोड, एन0एच0.49, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ0ग0) में संचालित बैचलर ऑफ आयुर्वेद मेडिसिन एंड सर्जरी (बी.ए.एम.एस.) 4.5 वर्षीय पाठ्यक्रम का फीस सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए अंतिम रूप से निर्धारित किया जा रहा है।

3. फीस के निर्धारण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय और प्रदेश में पूर्व में गठित झा समिति की अनुशंसाओं एवं अधिनियम, 2008 की धारा 9(1) में वर्णित बिन्दुओं को भी ध्यान में रखा गया है।

4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा (Islamic Academy of Education Vs. State of Karnataka) के प्रकरण में शुल्क के संबंध में जो मुख्य बिन्दु फीस निर्धारण हेतु वर्णित किये हैं, जिसका उल्लेख पैरा-154 एवं 198 में किया गया है, जो निम्नानुसार हैः-

154. The fee structure, thus, in relation to each and every college must be determined separately keeping in view several factors, including facilities available, infrastructure made available, the age of theinstitution, investment made, futureplan for expansion and betterment of the educational standard etc. The case of each institution in this behalf is required to be considered by an appropriate committee. For the said purpose, even the books of accounts maintained by the institution may have to be looked into. Whatever is determined by the Committee by way of fee structure having regard to relevant factors, some of which are enumerated herein before, the management of the

enumerated herein before, the management of the institution would not be entitled to charge anything more.

198. Thirdly, to ensure high standard of education and for that purpose to ensure admission to the most eligible candidates, requiring merit in a poor country like ours, the tuition and other fees should be within the reach of common people.

5. इसी प्रकार माननीय उच्चतम् न्यायालय द्वारा T.M.A. PAI FOUNDATION Vs.STATE OF KARNATAKA (2002) 8 SCC 481 का न्याय दृष्टांत जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पैरा 56 एवं पैरा 57 में निम्नानुसार दिशा-निर्देश दिए हैं:-

56. .... Different courses of study are usually taught by teachers who have to be recruited as per qualifications that may be prescribed. It is no secret that better working conditions will attract better teachers. More amenities will ensure that better students seek admission to that institution. One cannot lose sight of the fact that providing good amenities to the students in the form of competent teaching faculty and other infrastructure costs money ....

57. We, however, wish to emphasize one point, and that is that in as much as the occupation of education is, in a sense, regarded as charitable, the Government can provide regulations that will ensure excellence ineducation, while forbidding the charging of capitation fee and profiteering by the institution. Since the object of setting up an educational institution "charitable", it is clear that an educational institution cannot charge such a fee as is not required for the purpose of fulfilling that object. To put is differently, in the establishment of an educational institution, the object should not be to make profit, in as much as education is essentially charitable in nature. There can however be a reasonable revenue surplus, which may be generated by the educational institution for the purpose of development of education and expansion of the institution.

6. फीस के निर्धारण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा P.A.Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923 (Seven Judges Bench) के पैरा-92 में वर्णित पर्यवेक्षण का भी यहां पर उल्लेख किया जाना आवश्यक है:-

92."Education, accepted as a useful activity, whether for charity orfor profit, is an occupation. Nevertheless, it does not cease to be a service to the society. And even though an occupation, it can-not be equated to a trade or a business"

7. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्डन डेंटल कॉलेज एण्ड रिसर्च सेंटर विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य (AIR-2016, SC 2601) में भी सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख अपने निर्णय के पैरा 175 और 176 में किया है, जैसा कि अधिनियम, 2008 में भी वर्णित है:-

175: From the above discussion, it clearly emerges that in exercise of their "right to occupation", private institutions cannot transgress the rights of the students. Discernibly, the Act does not give unbridled power to the authority to determine the fee. Determination of fee has to be based on the factors stipulated in Section 9 of the Act. Further, an opportunity of appeal is also provided for in the Act. 2007 to the aggrieved. Fundamental rights of colleges to run their administration, includes fixation of fee. However, such right in turn has to be balanced with the rights of the students, so that they are not subjected to exploitation in the form of profiteering.

176: For the foregoing discussion, I hold that the State has the legislative competence to enact the impugned legislation act 2007 to hold common entrance test for admission to professional educational institutions and to determine the fee and the High Court has rightly upheld the validity of the impugned legislation. Regulations sought to be imposed by the impugned legislation on admission by common entrancetest conducted by the State and determination of fee are in compliance of the directions and observations in T.M.A. Pai, (AIR 2003 SC 355) Islamic Academy of Education (AIR 2003 SC 3274) and P.A. Inamdar (AIR 2005 SC 3226). Regulations on admission process are necessary in the larger public interest and welfare of the student community to ensure fairness and transparency in the admission and to

promote merit and excellence. Regulation on fixation of fee is to protect the rights of the students in having access to higher education without being subjected to exploitation in the form of profiteering. With the above reasonings, I concur with the majority view in upholding the validity of the impugned legislation and affirm the well merited decision of the High Court.

8. छत्तीसगढ़ निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम, 2008 की धारा-9 में यह उल्लेखित है कि :-

1. समिति सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था द्वारा प्रभारित की जाने वाली शुल्क विहित की गई रीति में निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए अवधारित करेगीः-

(क) सहायता न पाने वाली निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था की अवस्थितिः

(ख) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रकृतिः

(ग) भूमि और भवन का मूल्यः

(घ) उपलब्ध अवसंरचना, अध्यापन,अध्यायनेत्तर कर्मचारिवृंद और उपस्करः

(ड) प्रशासन तथा संधारण पर व्ययः

(च) व्यावसायिक संस्था की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक युक्तियुक्त आधिक्यः

(छ) कोई अन्य सुसंगत कारक :

9. इस तरह उपरोक्त धारा-9 में वर्णित प्रावधान के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो बिन्दु फीस के पुनरीक्षण/निर्धारण के लिए निर्धारित किए हैं, उनको भी ध्यान में रखने के लिए ए.एफ.आर.सी. द्वारा बिन्दु क्रमांक-2 में उल्लेखित संस्थाओं का निरीक्षण/वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवलोकन किया

गया। साथ ही संबंधित संस्था के टीचिंग स्टॉफ एवं छात्र छात्राओं को समुचित सुनवाई का अवसर भी दिया गया ।

10. राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय, चंदखुरी, जिला-दुर्ग (छ0ग0) में सत्र 2013 से संचालित बी.ए.एम.एस. 4.5 वर्षीय पाठ्यक्रम का पुनः फीस निर्धारण करने के पूर्व अधिनियम 2008 की धारा 9(2) के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 04/04/2026 को भौतिक रूप से एवं दिनांक 22/05/2026 एवं पुनः 02/06/2026 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से निरीक्षण/अवलोकन किया गया । निरीक्षण/अवलोकन के दौरान संस्था के संचालक डॉ, राजीव साहू एवं प्राचार्य श्रीमती वन्दना फटिंग उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (भवन) स्वयं की है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए रू. 2,89,000/- फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में संस्था के आडिट रिर्पोट के अनुसार आय-व्यय खाता में 26,77,576/- का घाटा (Deficit) प्रदर्शित है । शैक्षणिक संस्था "ना लाभ ना हानि" के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

11. छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मनकी, जी0ई0 रोड, राजनांदगांव (छ0ग0) (आयुर्विज्ञान शिक्षण समिति, राजनांदगांव द्वारा संचालित) में सत्र 2006 से संचालित

बी.ए.एम.एस. 4.5 वर्षीय पाठ्यक्रम का पुनः फीस निर्धारण करने के पूर्व अधिनियम 2008 की धारा 9(2) के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 22/05/2026 एवं पुनः 02/06/2026 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा/अवलोकन किया गया । चर्चा के दौरान संस्था के संचालक श्री अजय सिंधी एवं प्राचार्य श्री विनोद कुमार बरेठ उपस्थित हुए। उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (भवन) स्वयं की है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति को अवगत कराया गया कि National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) के अनुरूप योग्य स्टॉफ नियुक्त हैं। वित्तीय वर्ष 2024–2025 में समिति के आडिट रिर्पोट के अनुसार आय–व्यय खाता में 17,96,999.20/– का घाटा (Deficit) प्रदर्शित है । संस्था ने रू. 3.00 लाख से 3.10 लाख फीस निर्धारण करने का निवेदन किया है। शैक्षणिक संस्था "ना लाभ ना हानि" के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

12. भारती आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय, पुलगांव चौक, जिला–दुर्ग (छ0ग0) (हॉलिस्टिक फाउंडेशन द्वारा संचालित) में संचालित बी.ए.एम.एस. 4.5 वर्षीय पाठ्यक्रम का पुनः फीस निर्धारण करने के पूर्व अधिनियम 2008 की धारा 9(2) के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 22/05/2026 एवं पुनः 02/06/206 को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से अवलोकन किया गया । इस

दौरान संस्था के संचालक श्री सुशील चन्द्राकर, उपाध्यक्ष श्री प्रभोजोत सिंग भोई एवं प्राचार्य डॉ. मानस रंजन होता उपस्थित हुए उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। उन्होंने बताया कि अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समिति द्वारा पाया गया कि **National Commission for Indian System of Medicine (NCISM)** के अनुरूप योग्य स्टॉफ नियुक्त है पर विश्वविद्यालय नियमानुसार नियुक्ति की प्रक्रिया की जानी है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । फाउंडेशन के सत्र **2024–2025** के आडिट रिपोर्ट के अनुसार आय–व्यय खाता में रूपये **1,56,15,686.65** का लाभ **(Surplus)** प्रदर्शित है। संस्था ने रूपये **2,62,000/–** फीस निर्धारित करने का निवेदन किया है। शैक्षणिक संस्था "ना लाभ ना हानि" के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है ।

13. महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम–सुंदरा, राजनांदगांव (छ0ग0) (यूथ फाउंडेशन ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित) में संचालित बी.ए.एम.एस. **4.5** वर्षीय पाठ्यक्रम का पुनः फीस निर्धारण करने के पूर्व अधिनियम **2008** की धारा **9(2)** के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक **04/04/2026** को संस्था का भौतिक निरीक्षण दिनांक **22/05/2026** एवं दिनांक **02/06/2026** को पुनः वीडियो क्रान्फेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। चर्चा में संस्था के डॉ. नेमीचंद पारेख, संचालक उपस्थित हुए, उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया।

उन्होंने समिति को बताया कि उनकी अधोसंरचना (भवन) स्वयं की है। समिति द्वारा अवलोकन के दौरान पाया गया कि टीचिंग एवं अन्य स्टॉफ कॉलेज प्रबंधन से संतुष्ट थे। पुस्तकालय, प्रयोगशाला, प्रयोगशाला उपकरण एवं खेलकूद मैदान उपलब्ध हैं जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । चर्चा के दौरान समिति को जानकारी प्राप्त हुई कि संस्था में National Commission for Indian System of Medicine (NCISM) के अनुरूप योग्य स्टॉफ नियुक्त है। फाउंडेशन के वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आडिट रिपोर्ट के अनुसार संस्था के आय-व्यय खाता में 14,86,759/- रूपये का घाटा (Deficit) प्रदर्शित है । संस्था ने सत्र 2026-2027 के लिए फीस रूपये 3,21,546.17/- निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। शैक्षणिक संस्था "ना लाभ ना हानि" के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है ।

14. रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेदिक, कोटरलिया, जामगांव रोड, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ0ग0) (विवॉन शिक्षा समिति द्वारा संचालित) में सत्र 2024-2025 से संचालित बी.ए.एम.एस. 4.5 वर्षीय पाठ्यक्रम का ए.एफ.आर.सी. में प्रथम बार फीस निर्धारण हेतु आवेदन जमा करने के पूर्व ही संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में फीस निर्धारण हेतु प्रकरण क्रमांक WPC No. 5467/2025 प्रकरण दायर किया गया था जिसके तारतम्य में फीस निर्धारण करने के पूर्व अधिनियम 2008 की धारा 9(2) के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, समिति के पत्र दिनांक 05/12/2025 के माध्यम से

दिनांक 10/12/2025 को समस्त दस्तावेज लेकर ए.एफ.आर.सी. कार्यालय में उपस्थित होकर चर्चा के लिए बुलाया गया था। तत्पश्चात् दिनांक 17/04/2026 एवं पुनः 22/05/2026 को वीडियो कांन्फेंसिंग के माध्यम से ए.एफ.आर.सी. द्वारा संस्था के अधिकारियों से चर्चा एवं संस्था का अवलोकन किया गया । अवलोकन के दौरान संस्था के श्री सजल अग्रवाल, संचालक, डॉ. एच.डी.बंजारे, मेडीकल अधीक्षक एवं डॉ. अश्वनी प्रधान, प्राचार्य उपस्थित हुए, उन्हें सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया। संस्था के अवलोकन के दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था को पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छ.ग. द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-2025 प्रथम वर्ष के लिए दिनांक 16/10/2024 को एवं शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के लिए दिनांक 04/07/2025 को सम्बद्धता दी गई है एवं NCISM द्वारा बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम की मान्यता सत्र 2025-2026 के लिए दिनांक 31/07/2025 को प्रदान की गई है। संस्था की अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-2025, 2025-2026 एवं 2026-2027 के लिए 5,35,920.00/- रूपये फीस निर्धारित करने का प्रस्ताव किया है। वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आडिट रिर्पोट के अनुसार समिति के आय-व्यय खाता में रायगढ़ आयुर्वेदिक कॉलेज का 27,99,818.00/- रूपये का घाटा (Deficit) प्रदर्शित है। शैक्षणिक संस्था "ना लाभ ना हानि" के

आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है।

15. चौकसे कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर, बिलासपुर (छ0ग0) (एच.के.कल्चुरी एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित) में सत्र 2025-2026 से प्रथम बार संचालित बी.ए. एम.एस. 4.5 वर्षीय पाठ्यक्रम के संबंध में ए.एफ.आर.सी. में फीस निर्धारण हेतु आवेदन जमा करने के पूर्व ही संस्था द्वारा माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर में फीस निर्धारण हेतु प्रकरण क्रमांक WPC No. 5678/2025 प्रकरण दायर किया गया था जिसके तारतम्य में फीस निर्धारण करने के पूर्व अधिनियम 2008 की धारा 9(2) के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 10/12/2025 को भौतिक रूप से दस्तावेज लेकर ए.एफ.आर.सी. कार्यालय में उपस्थित हुए तत्पश्चात् दिनांक 11/04/2026 को ए.एफ.आर.सी. समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण एवं दिनांक 22/05/2026 को वीडियो क्रांन्फेंसिंग के माध्यम से चर्चा एवं संस्था का अवलोकन किया गया । संस्था के अवलोकन के दौरान ज्ञात हुआ कि संस्था को NCISM द्वारा बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम की मान्यता सत्र 2025-2026 के लिए दिनांक 01/09/2025 को प्रदान की गई है एवं पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छ.ग. द्वारा दिनांक 22/09/2025 को प्रथम वर्ष के लिए सम्बद्धता दी गई है। निरीक्षण के दौरान संस्था के डॉ. प्रकाश वाथ, प्राचार्य एवं डॉ. जीवन साहू, उप प्राचार्य उपस्थित हुए उन्हें अपनी बात रखने का पूर्ण अवसर दिया गया। संस्था की अधोसंरचना (बिल्डिंग) स्वयं की है। टीचिंग स्टॉफ से भेंट का निष्कर्ष संतोषजनक रहा,

अध्ययनरत विद्यार्थी उपस्थित रहे सभी ने संतोष व्यक्त किया। संस्था में छात्रावास, खेलकूद के मैदान, पुस्तकालय व प्रयोगशालायें उपलब्ध हैं, जिन्हें वर्तमान में अत्याधुनिक एवं उन्नत किये जाने की आवश्यकता है । संस्था द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-2027, 2027-2028 एवं 2028-2029 के लिए रूपये 5,70,000/- फीस निर्धारित करने का प्रस्तावित किया है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आडिट रिर्पोट के अनुसार ट्रस्ट के आय-व्यय खाता में 4,73,17,424/- रूपये का घाटा (Deficit) प्रदर्शित है। शैक्षणिक संस्था "ना लाभ ना हानि" के आधार पर संचालित होती है। अतः उक्त परिस्थितियों को आधार मानकर फीस का निर्धारण किया जाना है ।

16. जहां तक लोन पर ब्याज का प्रश्न है, यह राशि छात्रों के ऊपर नहीं लादी जा सकती है, जैसा कि ऊपर PA Inamdar Vs. State of Maharashtra (2005 AIR SCW 3923) वाले प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत का उल्लेख किया जा चुका है। यह तथ्य पूर्व में शासन द्वारा गठित फीस कमेटी, जिसके अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति झा थे, के समक्ष भी आया था। उन्होंने लोन पर ब्याज को फीस की गणना में शामिल करने से इंकार किया है एवं सभी शिक्षण संस्थाओं के शुल्क निर्धारण में यही सिद्धांत को समिति ने अपनाया भी है और यह इस्लामिक स्टेट सेंटर के निर्णय में भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उल्लेखित है। संस्था को अपने स्त्रोतों का उपयोग करना चाहिए और उसके आधार पर ही राशि खर्च की जानी चाहिए। इस तरह के कोई भी व्यय छात्रों के ऊपर नहीं लादे जा सकते, क्योंकि शिक्षण संस्थाएं व्यापार और लाभ कमाने के

उद्देश्य से नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ऊपर वर्णित न्याय दृष्टांतों से स्पष्ट है और अधिनियम, 2008 में भी इस बात का उल्लेख धारा-9 में है कि समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस शिक्षा में मुनाफाखोरी एवं उसके वाणिज्यीकरण के लिए नहीं होगी।

17. शिक्षण संस्थाओं द्वारा शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ के वेतन आदि में जो राशि व्यय की जा रही है वह तो फीस के निर्धारण में विचार में ली ही जाएगी, लेकिन उतनी ही फीस स्वीकार योग्य रहेगी, जो शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप होगी। यदि शिक्षण संस्थाएं उससे अधिक राशि व्यय कर रही है, तो यह भार अतिरिक्त रूप से छात्रों पर अधिरोपित नहीं किया जा सकता।

18. इसके अतिरिक्त समिति का यह भी अभिमत है कि संस्था द्वारा महत्वपूर्ण मद पर आवश्यक खर्च किए जा रहे हैं वह भी फीस के निर्धारण में विचार में लिए जाएंगे जो निम्नानुसार हैं:-

Prominent Heads (महत्वपूर्ण शीर्ष)

1. **Teaching staff expenditure**
2. **Non-Teaching Staff expenditure**
3. **Workshop consumable**
4. **Electricity expenditure**
5. **Telephone, internet and softwares**
6. **Water and & Cleaning expenditure**
7. **Travel & Conveyance**
8. **Repairing & Maintenance**
9. **Operation & Administrative expenses**

10. **Printing, Postage and Stationary**
11. **Insurance, Tax**
12. **Processing fees (AFRC, University, Council and Deptt)**
13. **Educational Tour exp.**
14. **Sports & NSS**
15. **Annual social exp.**
16. **Research & Development**
17. **Other misc. expenses**

19. फीस निर्धारण किए जाने के पूर्व यह विचार किया जाना भी उचित होगा कि छत्तीसगढ़ में न केवल आयुर्वेद शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाएं, जिससे छत्तीसगढ़ के अधिक से अधिक छात्र आयुर्वेद शिक्षा प्राप्त कर सकें। अतः इस हेतु छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय को विचार में रखना आवश्यक है, वहीं यह भी विचार किया जाना आवश्यक है कि संबंधित आयुर्वेद महाविद्यालय ने अपने स्थापना आदि का खर्च सही रूप से प्रस्तुत किया है, जिससे कि संस्था अपने शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधार कर सकें। अतः छात्र एवं महाविद्यालय दोनों के हितों को विचार में रखते हुए यह आवश्यक होगा कि युक्तियुक्त और न्यायसंगत तरीके से फीस का निर्धारण माननीय उच्चतम न्यायालय के न्याय दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में तथा छत्तीसगढ़ की आर्थिक, सामाजिक परिस्थितियों तथा पूर्व में फीस के निर्धारण को विचार में रखते हुए किया जाना युक्तिसंगत होगा। अतः इन समस्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए फीस का निर्धारण/पुनर्निर्धारण किया जा रहा है ।

20. इस्लामिक एकेडमी ऑफ एजुकेशन विरूद्ध स्टेट ऑफ कर्नाटका राज्य के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैरा-156 में जो Observation (अवलोकन) उल्लेखित किया है वह निम्नानुसार हैः-

> **"While this court has not laid down any fixed guidelines as regards fee structure, in my opinion, reasonable surplus should ordinarily vary from 6% to 15% as such surplus would be utilized for expansion of the system and development of education"**

21. सामान्य तौर पर शिक्षण संस्थाओं के फीस का निर्धारण करने के लिए अनेक बिंदु पर विचार किया जाता है। फीस निर्धारण के लिए भारतवर्ष एवं राज्यों के आर्थिक आंकड़ों को विचार में लिया जा सकता है।

22. भारत सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जो होलसेल प्राईस इण्डेक्स वर्ष 2011-12 को आधारवर्ष मानते हुए जो गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 155, वर्ष 2024-25 में 154.5 एवं वर्ष 2025-26 में 158.2 वर्णित है।

23. इसी तरह इन्फ्लेशन इण्डेक्स का भी उल्लेख यहां किया जाना समुचित है जिसमें वर्ष 2001-02 को आधारवर्ष मानते हुए गणना की गई है उसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3 प्रतिशत, वर्ष 2024-25 में 4 प्रतिशत, वर्ष 2025-26 में 3.4 प्रतिशत अनुमानित अंक पाये गये।

24. छ.ग. राज्य सम्पन्न राज्य नहीं है। इस राज्य में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,62,870/- है, मध्यप्रदेश में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 1,69,050/- है, महाराष्ट्र में वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू.3,47,903/- एवं भारत की वर्ष 2024 से 2025 के दौरान प्रति व्यक्ति आय रू. 2,20,000/- है।

25. जैसा कि ऊपर प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ धनी राज्यों की श्रेणी में नहीं है और छत्तीसगढ़ की जनता अत्यधिक खर्च उठाने के लिए सक्षम भी नहीं है और फीस निर्धारण करने के समय छत्तीसगढ़ राज्य की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। संबंधित महाविद्यालय की गुणवत्ता एवं पाठ्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए तथा छ.ग. की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को विचार में रखते हुए जबकि छ.ग. राज्य एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है तथा अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों की आमदनी अन्य वर्ग की अपेक्षा निश्चित रूप से कम होती है, को विचार में रखते हुए तथा छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य प्रदेश है, के छात्र कम से कम अपने राज्य में बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके।

26. उपरोक्त तथ्यों के आधार पर संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी जानकारी और कॉलेजों के फीस निर्धारण के लिए संस्था और छात्र दोनों के हितों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए मुख्यतः कॉलेज चलाने हेतु दिन-प्रतिदिन होने वाले खर्च

मुख्य रूप से-शैक्षणिक और गैर-शैक्षणिक स्टॉफ का वेतन, विद्युत खर्चे, प्रशासनिक खर्चे और मेन्टेनेंस तथा डव्हलपमेंट खर्च ही आते हैं। शैक्षणिक संस्था की संबंधित समिति या कंपनी ने ऋण के लिए ब्याज जो अदा किया है उसे खर्चो में शामिल नही किया जा सकता जैसा कि उपर वर्णित किया जा चुका है। अतः संस्था की फीस के निर्धारण में प्रचलित मुद्रा स्फीति दर के साथ अतिरिक्त विकास के लिए प्रावधानानुसार जोड़ा जाना उचित होगा ताकि संस्था NCISM के मानक मापदण्डों का पालन करने में सक्षम हो सके ।

27. समिति का यह अभिमत है कि छात्रों से पूर्व निर्धारित दर पर फीस लिया जाकर प्रवेश दिया जा चुका है भूतलच्छीय प्रभाव से फीस का पुनर्निधारण (सामान्यतयः बढ़ौतरी) करना एवं पूर्व से प्रवेश प्राप्त छात्रों से बाद में बढ़ी हुई फीस लिया जाना अव्यावहारिक होने के साथ-साथ छात्रहित में नहीं है क्योंकि यह संस्था के लिए हितकर तो है पर यह छात्रों में आकोश का कारण भी बन सकता है इसलिए सत्र 2025-2026 के लिए संस्था द्वारा ली गई फीस को मान्य करते हुए समिति के अनुसार सभी निजी बी.ए.एम.एस. महाविद्यालयों की फीस का पुनः निर्धारण नवप्रवेशित छात्रों के लिए सत्र 2026-2027 से ही किया जाना उचित है।

28. प्रदेश में पूर्व से निम्नानुसार विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में बी.ए.एम.एस. के पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनकी फीस समिति द्वारा संस्थाओं में उपलब्ध अधोसंरचना एवं संसाधन को ध्यान में रखते हुए फीस निर्धारित की गई है :-

स. क्र.	बी.ए.एम.एस. महाविद्यालय का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का अंतिम निर्धारण किया	कुल फीस प्रति वर्ष/प्रति छात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी, लेबोरेटरी,

		गया	ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जेस एवं सभी फीस)
1.	महावीर कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुंदरा, राजनांदगांव (छ0ग0)	2023-2024 2024-2025 एवं 2025-2026	Rs. 1,36,000/-
2.	छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, मनकी, जी0ई0 रोड, राजनांदगांव (छ0ग0)	2023-2024 2024-2025 एवं 2025-2026	Rs. 1,34,700/-
3.	राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय, चंदखुरी, जिला-दुर्ग (छ0ग0)	2023-2024 2024-2025 एवं 2025-2026	Rs. 1,34,700/-
4.	भारती आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय, पुलगांव चौक, जिला-दुर्ग(छ0ग0)	2023-2024 2024-2025 एवं 2025-2026	Rs. 1,34,700/-

29. तद्नुसार ए.एफ.आर.सी. निम्नांकित संस्थाओं में संचालित बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम हेतु फीस का अंतिम निर्धारण उनके नाम के सम्मुख वर्षो के लिए किया जाता है। जो पाठ्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्ण होने तक प्रभावशील रहेगी :-

स. क्र.	राज्य के निजी बी.ए.एम.एस. महाविद्यालय का नाम	वर्ष जिसके लिए फीस का अंतिम निर्धारण/ पुनर्निर्धारण किया गया	कुल फीस प्रति वर्ष/प्रति छात्र (सम्मिलित ट्यूशन फीस, लायब्रेरी, लेबोरेटरी, ग्रोथ एवं डेव्लपमेंट चार्जेस एवं सभी फीस)
1.	राजीव लोचन आयुर्वेद महाविद्यालय, चंदखुरी, जिला-दुर्ग (छ0ग0)	2026-2027 2027-2028 एवं 2028-2029	Rs.1,65,000/-
2.	छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक	2026-2027	Rs.1,65,000/-

	मेडिकल कॉलेज, मनकी, जी0ई0 रोड, राजनांदगांव (छ0ग0)	2027-2028 एवं 2028-2029	
3.	भारती आयुर्वेद मेडिकल महाविद्यालय, पुलगांव चौक, जिला-दुर्ग(छ0ग0)	2026-2027 2027-2028 एवं 2028-2029	Rs.1,65,000/-
4.	महावीर कॉलेर्ज ऑफ आयुर्वेदिक साईंस, ग्राम-सुंदरा, राजनांदगांव (छ0ग0)	2026-2027 2027-2028 एवं 2028-2029	Rs.1,75,000/-
5.	रायगढ़ मेडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेदिक, कोटरलिया, जामगांव रोड, रायगढ़, जिला-रायगढ़ (छ0ग0)	2026-2027 2027-2028 एवं 2028-2029	Rs.1,48,000/-
6.	चौकसे कॉलेज ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च सेंटर एण्ड हॉस्पिटल, लाल खदान, मस्तुरी रोड, एन0एच0.49, बिलासपुर, जिला-बिलासपुर (छ0ग0)	2026-2027 2027-2028 एवं 2028-2029	Rs.1,48,000/-

30. छात्रावास, मेस और कॉलेज आने-जाने के लिए ट्रांस्पोर्टेशन की सुविधा वैकल्पिक रहेगी। प्रत्येक छात्र/छात्राओं के लिए यह बाध्यता नहीं है कि उसका उपयोग करें यह स्वैच्छिक है। छात्रावास, मेस एवं ट्रांस्पोर्टेशन शुल्क "न लाभ न हानि" (N0 PROFIT NO LOSS) के आधार पर केवल उपयोगकर्ता छात्र/छात्राओं से ही लिया जाना है, अन्य छात्रों से नहीं लिया जा सकेगा।

31. संस्था द्वारा ट्यूशन फीस के अतिरिक्त अन्य मदों में जो फीस ली जावेगी उसका पूरा विवरण नोटिस बोर्ड, संस्था की वेबसाईट तथा प्रवेश हेतु जारी किए जाने वाले प्रॉस्पेक्टस में उल्लेखित होगी। प्रॉस्पेक्टस काउंसिलिंग के पूर्व अनिवार्य रूप से जारी करेंगे तथा प्रॉस्पेक्टस की एक प्रति प्रवेश तथा फीस विनियामक सचिवालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

32. संस्था छात्र से रू. 2,000/- (रूपए दो हजार मात्र) प्रति छात्र एकमुश्त प्रवेश के समय काशनमनी के रूप में प्रावधानित राशि ले सकेगी, जो छात्र के संस्था छोड़ने पर वापसी योग्य होगी।

33. संस्था द्वारा निर्धारित फीस से अधिक फीस लेना अथवा समिति द्वारा निर्धारित मद से अन्य मद में फीस लेना केपिटेशन फीस कहलाएगी एवं दोषी संस्था के ऊपर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी।

34. विश्वविद्यालय शुल्क एवं काऊंसिलिंग शुल्क, राज्य शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा बनाए गये नियमों के तहत ही लिया जा सकेगा।

35. समिति द्वारा निर्धारित की गई फीस अधिकतम है, कोई संस्था चाहे तो इससे कम फीस भी ले सकती है ।

36. संस्था द्वारा छात्र से प्रवेश के समय स्थानांतरण प्रमाणपत्र एवं माईग्रेशन प्रमाणपत्र के अतिरिक्त और कोई भी मूल प्रमाणपत्र (जैसे 10वीं, 12वीं की मूल अंकसूची, मूल निवासी एवं जाति प्रमाणपत्र आदि) जमा नहीं कराया जावेगा। केवल सत्यापन हेतु उसका अवलोकन किया जा सकता है।

37. छात्र द्वारा निर्धारित अवधि में प्रवेश के एक माह के अंदर फीस जमा न करने पर संस्था, छात्र से रू. 10/- (रूपये दस मात्र) प्रतिदिन की दर से पहले महीने एवं

दूसरे महीने से रू. 15/-(रूपये पन्द्रह मात्र) प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क ले सकेगी, इससे अधिक राशि वह नहीं वसूल कर सकेगी।

38. संबंधित संस्था अपनी उक्त फीस के अतिरिक्त और कोई भी शुल्क यूनिफार्म, आई.डी.-कार्ड, लायब्रेरी-कार्ड, लेबोरेटरी, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, खेल-कूद, स्किल लैब एवं एन.एस.एस. फीस, आदि मदों भवन, फर्नीचर, उपकरण आदि मदों में, वसूल नहीं कर सकेगी।

39. WP(C) 1707/2016 श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी, रायपुर बनाम छ.ग. शासन एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 02/02/2017 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार यदि कोई छात्र काउंसिलिंग के दौरान संस्था छोड़ना चाहता है एवं अपना प्रवेश निरस्त कराना चाहता है तो उसे काउंसिलिंग के अंतिम तिथि के 05 दिन पूर्व संबंधित संस्था में प्रवेश निरस्ती संबंधी आवेदन पत्र जमा करनी होगी, तभी उसकी जमा फीस नियमानुसार वापसी योग्य होगी। अन्यथा उच्च न्यायालय के उक्त आदेशानुसार फीस वापस नहीं की जा सकेगी।

40. छात्र से ली जाने वाली फीस या वापस की गई राशि बैंक के माध्यम से जैसे चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट द्वारा से ही ली या वापस की जा सकेगी ।

41. ए.एफ.आर.सी. समिति द्वारा जो अंतिम शुल्क निर्धारित किया गया है यदि संस्था से अंतिम शुल्क की राशि यदि छात्रों से कम ली गयी है तो संबंधित छात्र एक माह के भीतर संस्था में जमा करेंगे और यदि संस्था ने छात्रों से अतिरिक्त राशि ली है तो संस्था भी एक माह के भीतर यह राशि छात्रों को विधिवत बैंक के माध्यम से जैसेः-चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट के द्वारा वापस करेंगे जिसकी सूचना ए.एफ.आर.सी. कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे ।

42. संस्था प्रतिवर्ष गतवर्ष की आडिट रिपोर्ट नोटिस बोर्ड में चस्पा करेगी ।

43. संबंधित संस्था फीस से संबंधित जानकारी एवं स.क्र. 29 से 42 तक की जानकारियां संस्था के नोटिस बोर्ड में बड़े अक्षरों में प्रसारित करेंगे तथा अपनी वेबसाईट में भी अपलोड करेंगे एवं की गई कार्यवाही से ए.एफ.आर.सी. को सूचित करेंगे ।

अतः यह ए.एफ.आर.सी. उपरोक्त कंडिका 29 में वर्णित संस्था में संचालित बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम के अधोसंरचना और अन्य आधार पर उनके सम्मुख वर्षो के लिए शैक्षणिक शुल्क का अंतिम निर्धारण करती है ।

संकल्प की प्रति आवश्यक अधिसूचना हेतु राज्य शासन की ओर भेजा जाए तथा एक प्रति वेबसाईट में अपलोड हेतु संचालक, आयुष छत्तीसगढ़, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर भेजी जाएं ।

18/7/26	18.07.26		
(डॉ. एस.के.पाण्डेय)	(डॉ. यू.एस. पैकरा)	(पोखराज सिंह परिहार)	(अमित चिमनानी)
अध्यक्ष	सदस्य (पदेन)	सदस्य (विधि)	सदस्य (वित्त)
ए.एफ.आर.सी.	संचालक,चिकित्सा शिक्षा	ए.एफ.आर.सी.	ए.एफ़.आर.सी.